LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

BULLETIN PART – I
(Brief summary of proceedings)
Friday, 09 September 2016 / 18 *Bhadrapada*, 1938 (*Saka*)

No. 39
2:00 P.M. **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

NATIONAL SONG-*VANDE MATARAM*

1.	2.02 PM	Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition raised the issue of absence of the Hon'ble Chief Minister and in spite of repeated requests of the Hon'ble Speaker kept on shouting. (Shri Vijender Gupta and Shri Jagdish Pradhan walked out in protest)
2.	2.17 PM	**Special Mention (Rule-280):** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair: 1. Ms. Parmila Tokas 2. Shri Saurabh Bhardwaj 3. Ms. Alka Lamba 4. Shri Rajender Pal Gautam 5. Shri Sanjeev Jha 6. Smt. Sarita Singh 7. Shri Somnath Bharti (Minister of Home & Urban Development intervened) 8. Smt. Bandana Kumari 9. Shri Naresh Balyan (BJP members returned to the House) 10. Shri Som Dutt (Minister of Home & Urban Development intervened) 11. Shri Jagdish Pradhan
3.	2.52 PM	**Ruling of Chair:** The Chair informed the House that he had received a letter from the Leader of Opposition seeking discussion on an issue without quoting any Rule under which he proposed to raise the issue. He expressed his concern over the fact that the letter of the Leader of Opposition was received by him after it had appeared in the media. He stated that it appeared that the Leader of Opposition was not serious and was more interested in seeking publicity than actually raising the issue. He also stated that earlier in the day the Leader of Opposition gave a notice of Calling Attention under Rule 54. He stated that as a Calling Attention and two Short Duration Discussions were already listed for the day, hence using his powers he would be allowing a discussion on the notice of the Leader of Opposition after completion of the listed business for the day.
4.	2.56 PM	**Calling Attention (Rule-54):** Shri Nitin Tyagi, Hon'ble Member called the attention of the House towards the alleged leakage of details of Chief Minister's security leading to breach of security of the elected Chief Minister. The following Members raised questions: 2. Smt. Sarita Singh 3. Shri Dinesh Mohaniya 4. Shri Vijender Gupta 5. Shri Kapil Mishra, Hon'ble Minister of Tourism Sh. Satyender Jain, Hon'ble Minister of Home replied to the discussion.

5.	3.42 PM	**Supplementary Demand for Grants:** Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister presented the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2016-17. The Demands for Grants were considered and passed.
6.	3.45 PM	**Introduction, Consideration and Passing of 'Appropriation (No.3) Bill 2016' :-** Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister introduced 'The Delhi Appropriation (No.3) Bill, 2016' (Bill No.06 of 2016) with the leave of the House. The Deputy Chief Minister moved that the Bill be taken into consideration. The Motion was put to vote and adopted by voice-vote. The Bill was considered clause-wise. The Deputy Chief Minister moved that the Bill be passed. The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
7.	3.52 PM	**Observations of Hon'ble Speaker:** The Chair stated that the House was about to discuss the issue of the attempts to derail the independence of the legislature and informed the House about the attempt to unconstitutionally transfer the Assembly Secretary without his approval and made a statement on the issue. Chair also directed that his letter dated 30.8.2016 addressed to the Hon'ble Lieutenant Governor be taken on record of the House proceedings immediately after the conclusion of his observation.
8.	3.55 P.M.	**The Chair adjourned the House for Tea break.**
9.	4.40 P.M.	**The House reassembled.** **Hon'ble Speaker in-Chair.**
10.		**Short Duration Discussion (Rule-55):** I. Ms. Alka Lamba, Hon'ble Member initiated discussion on the alleged unconstitutional attempts to render the duly elected Legislative Assembly defunct with the aim of defeating the popular mandate. The following Members participated in the debate: 2. Shri Nitin Tyagi 3. Shri Sanjeev Jha 4. Shri Saurabh Bhardwaj 5. Shri Kailash Gahlot 6. Shri Somnath Bharti (He also moved a resolution in this regard) 7. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister replied to the discussion. Shri Somnath Bharti moved the following resolution: *"Noting the fact that the services of Shri Prasanna Kumar Suryadevara as Secretary of Legislative Assembly are secured by Hon'ble Speaker and that the term of deputation of Shri Suryadevara as Secretary, Legislative Assembly is valid till 16 July, 2018;* *Further noting the fact that Shri Suryadevara has gained experience and expertise in the matters of Legislative functioning through his service of more than 12 years in the Legislative arena including over 11 years that he had spent in the service of Parliament of India out of a total of 23 years of service he had put in so far;* *Also noting the fact that the request of Hon'ble Speaker for concurrence for absorption of Shri Prasanna Kumar Suryadevara as Secretary of Legislative Assembly of NCT of Delhi on permanent basis was duly conveyed to the Directorate General of All India Radio;* *Placing on record sincere appreciation of the outstanding services being rendered by*

		Shri Prasanna Kumar Suryadevara which resulted in streamlining of the functioning of the Legislative Assembly and its Secretariat in various spheres; *Condemning in strongest possible terms the efforts of the Administrator of NCT of Delhi to scuttle the functioning of duly elected Legislative Assembly by way of unilaterally issuing an illegal, unconstitutional and untenable order suggesting thatShri Prasanna Kumar Suryadevara is relieved as Secretary, Legislative Assembly;* *Viewing seriously the transgression on the part of the Administrator of NCT of Delhi in venturing into the Legislative arena which is constitutionally under the sole custody of Speaker of the Assembly;* *Expressing grave concern at the fact that the Administrator who is also the Lt. Governor, while holding a Constitutional Office, perpetuated the breach of Laxman Rekha by way of assaulting the very independence of Legislature guaranteed under the Constitution;* *Treating the intrusion of the Administrator into the matters of Legislative functioning as a serious affront to the authority of the Speaker and the sovereign rights of the people of Delhi who have elected the Legislative Assembly;* *Warning the Administrator to desist from such autocratic, undemocratic and unconstitutional moves in future; and* *Lauding the firmness displayed by Hon'ble Speaker in scuttling the designs of the Administrator to make the Assembly defunct by standing up to the untenable orders of the Administrator;* *Resolves to stand by the directions issued by Hon'ble Speaker to all concerned that Shri Prasanna Kumar Suryadevara shall continue to discharge his duties as Secretary, Legislative Assembly, NCT of Delhi not withstanding any order issued/to be issued from any quarter that runs contrary to Speaker's directions;* *Further resolves that any move in any quarter that results in any violation, either directly or indirectly, of Hon'ble Speaker's directions in relation to the position of Secretary, Legislative Assembly and the functioning of the Secretariat be treated as serious breach of privilege of the Legislative Assembly and as such necessary proceedings be initiated forthwith against those who cause such a breach; and* *Requests Hon'ble Speaker to take all necessary steps to secure the services of Shri Prasanna Kumar Suryadevara for absorption as Secretary, Legislative Assembly on permanent basis in the long term interest of the institution."* The Resolution was adopted by voice-vote. The Chair directed that the resolution be communicated to all the concerned departments and appealed to the Union Minister of Information and Broadcasting to facilitate Shri Prasanna Kumar Suryadevara's absorption as Secretary of the Legislative Assembly. He also informed the House that he would be taking up the matter with the Presiding Officers of Rajya Sabha, Lok Sabha and other state legislatures.
11.	6.00 PM	(The duration of the sitting was extended by thirty minutes) II. Shri Rajender Pal Gautam, Hon'ble Member initiated discussion on the alleged attempt to derail governance in Delhi by resorting to arbitrary transfers and various other measures with the intention to terrorize and demoralize well meaning officers. The following Members participated in the debate: 2. Shri Som Dutt 3. Shri Jarnail Singh (Tilak Nagar) 4. Shri Jagdeep Singh, Hon'ble Chief Whip 5. Shri Vijender Garg 6. Shri Mohinder Goyal

		7. Ms. Bhavna Gaur (6.30 PM The duration of the sitting was extended by one hour) 8. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition Shri Satyender Jain, Hon'ble Minister made a statement on the issue. Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the discussion.
12.	7.30 PM	(The duration of the sitting was extended by one hour) III. Shri Vijender Gupta initiated discussion on the situation arising out of leakage of objectionable videos involving a former minister of Govt. of NCT of Delhi. (Following an altercation between Shri Vijender Gupta and Shri Sharad Chauhan, Shri Vijender Gupta and Shri Jagdish Pradhan walked out in protest). Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister made a statement on the issue. Shri Kapil Mishra, Hon'ble Minister also made a statement on the issue.
13.		IV Shri Amanatullah Khan raised the issue of the ACB raid on the Wakf Board offices. Shri Somnath Bharti also spoke on the issue.
14.		Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister stated that it was brought to his notice that Shri Vijender Gupta had made a complaint to the police alleging threat to him in the House. He stated that if the information was true then it was a serious matter and constituted a breach of privilege of the members and contempt of the House that Shri Vijender Gupta had made a complaint to the police instead of bringing the matter to the notice of the Hon'ble Speaker. The Chair directed that the matter be examined by the Committee of Privileges.
15.		The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and others for their co-operation in smooth conduct of the Session.
16.	8.35 PM	**National Anthem – *Jan-Gan-Man*** The Chair adjourned the House sine-die.

Delhi **Prasanna Kumar Suryadevara**
09 September, 2016 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2016 / 18 भाद्रपद, 1938 (षक)

संख्या–39

2.00 बजे श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

राष्ट्रीय गीत – वन्दे मातरम्

1.	2.02 बजे	**श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष नें माननीय मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया तथा माननीय अध्यक्ष महोदय की बार–बार प्रार्थना के बावजूद चिल्लाते रहे।** *(श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)*
2.	2.17 बजे	**विषेष उल्लेख (नियम–280) :** निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :– 1. श्रीमती प्रमिला टोकस 2. श्री सौरभ भारद्वाज 3. सुश्री अलका लाम्बा 4. श्री राजेन्द्र पाल गौतम 5. श्री संजीव झा 6. श्रीमती सरिता सिंह 7. श्री सोमनाथ भारती (माननीय गृह तथा शहरी विकास मंत्री नें हस्तक्षेप किया) 8. श्रीमती बंदना कुमारी 9. श्री नरेश बाल्यान (भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये।) 10. श्री सोम दत्त (माननीय गृह तथा शहरी विकास मंत्री नें हस्तक्षेप किया) 11. श्री जगदीश प्रधान
3.	2.52 बजे	**अध्यक्ष महोदय की व्यवस्थाः** अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें माननीय नेता प्रतिपक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बिना किसी नियम का उल्लेख किये चर्चा की अनुमति मांगी है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पत्र मीडिया में प्रकाशित होने के बाद मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष इस विषय पर गंभीर नहीं है तथा उनकी दिलचस्पी इस विषय को उठाने की बजाय मीडिया में पब्लिसिटी में अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि आज ही पूर्व में नेता प्रतिपक्ष से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है तथा चूंकि एक ध्यानाकर्षण और दो अल्पकालिक चर्चायें पहले ही सूचीबद्ध हैं। अतः वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेता प्रतिपक्ष की सूचना पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं जिसे सूचीबद्ध कार्य पूर्ण करने के बाद लिया जाएगा।
4.	2.56 बजे	**ध्यानाकर्षण (नियम–54):** **श्री नितिन त्यागी, माननीय सदस्य** ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा संबंधी विवरण के कथित रूप से लीक होने से निर्वाचित मुख्यमंत्री की सुरक्षा के हनन के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित किया। निम्नलिखित सदस्यों ने प्रश्न पूछे : 2. श्रीमती सरिता सिंह 3. श्री दिनेश मोहनिया 4. श्री विजेन्द्र गुप्ता 5. श्री कपिल मिश्रा, माननीय पर्यटन मंत्री **श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय गृह मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

5.	3.42 बजे	<u>**अनुदानों की पूरक मांगें :**</u> **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री** ने सदन की अनुमति से वर्ष 2016–17 हेतु अनुदानो की पूरक मांगों की प्रथम खेप सदन में प्रस्तुत की। अनुदान मांगों पर विचार किया गया तथा पारित किया गया।
6.	3.45 बजे	<u>**विनियोजन (संख्या–03) विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन,विचार एवं पारित करना :**</u> **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने** सदन की अनुमति से "दिल्ली विनियोजन (संख्या–03) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-06)" पुरःस्थापित किया। उप मुख्यमंत्री नें प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ। विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ। उप मुख्यमंत्री नें प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक पारित किया जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
7.	3.52 बजे	<u>**माननीय अध्यक्ष महोदय की टिप्पणी :**</u> अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि सदन में विधायिका की स्वतंत्रता को विस्थापित करने के प्रयास के विषय में चर्चा की जानी है तथा उन्होंने बिना उनकी स्वीकृति के सचिव, विधान सभा का असंवैधानिक तरीके से स्थानांतरण करने के विषय में सदन को सूचित किया एवं इस विषय पर वक्तव्य भी दिया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि माननीय उप राज्यपाल को सम्बोधित उनके पत्र दिनांक 30.08.2016 को उनकी टिप्पणी के समाप्त होने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही के रिकार्ड पर लिया जाये।
8.	3.55 बजे	**अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाष के लिए स्थगित की।**
9.	4.40 बजे	**सदन पुनः समवेत हुआ।** **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
10.	4.41 बजे	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) : **I. सुश्री अलका लाम्बा, माननीय सदस्या** ने लोकप्रिय जनादेश को विफल करने के उद्देश्य से, विधिवत रूप से निर्वाचित विधान सभा को निष्क्रिय बनाने के कथित असंवैधानिक प्रयासों के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : 2. श्री नितिन त्यागी 3. श्री संजीव झा 4. श्री सौरभ भारद्वाज 5. श्री कैलाश गहलोत 6. श्री सोमनाथ भारती (उन्होंने भी इस संबंध में एक संकल्प प्रस्तुत किया) 7. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष **श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया। **श्री सोमनाथ भारती, माननीय सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :– "इस तथ्य पर गौर करते हुए कि विधान सभा सचिव के रूप में श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा की सेवायें अध्यक्ष महोदय द्वारा निश्चित की गई हैं तथा सचिव, विधान सभा के रूप में श्री सूर्यदेवरा की प्रतिनियुक्ति की अवधि 16 जुलाई, 2018 तक वैध है, इसके अलावा इस तथ्य पर गौर करते हुए कि श्री सूर्यदेवरा ने अपने अब तक के कुल 23 वर्ष के सेवा काल में से, विधायी कार्यक्षेत्र में 12 वर्ष से भी अधिक की सेवा के दौरान विधायी कार्यप्रणाली के विषयों में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त की है, इसमें उन्होंने 11 वर्ष से ज्यादा भारत की संसद की सेवा में बिताये हैं, इस बात पर भी गौर करते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सचिव के रूप में श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा के स्थायी आधार पर समावेशन के लिए सहमति हेतु अध्यक्ष महोदय के अनुरोध को विधिवत रूप से आकाशवाणी के महानिदेशक को अवगत करा दिया गया था,

		श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा द्वारा दी जा रहीं उत्कृष्ट सेवाओं की प्रशंसा करते हुए, जिनके परिणामस्वरूप विधान सभा और इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली विभिन्न क्षेत्रों मे सुव्यवस्थित हुई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक द्वारा श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को सचिव, विधानसभा के पद से कार्यमुक्त करने संबंधी, एकपक्षीय ढंग से अवैध, असंवैधानिक तथा तर्कहीन आदेश जारी करके विधिवत रूप से निर्वाचित विधानसभा की कार्यप्रणाली को निष्क्रिय करने के प्रयासों की यथासंभव कड़े शब्दों मे निंदा करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक द्वारा विधायी कार्य क्षेत्र, जो संवैधानिक रूप से केवल विधान सभा अध्यक्ष के संरक्षण में है, में अतिक्रमण करने के साहस, को गंभीरतापूर्वक लेते हुए, इस तथ्य पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए कि प्रशासक जो उपराज्यपाल भी हैं, ने संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त विधायिका की स्वतंत्रता पर हमला करके लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन होने दिया है, विधायी कार्यप्रणाली के विषयों में प्रशासक के अतिक्रमण को अध्यक्ष के प्राधिकार तथा दिल्ली के लोगों के प्रभुसत्तात्मक अधिकारों का घोर अपमान मानते हुए, प्रशासक को भविष्य में तानाशाही, अलोकतांत्रिक तथा असंवैधानिक प्रयासों से दूर रहने की चेतावनी देते हुए, और विधानसभा को निष्क्रिय करने के लिए प्रशासक की योजना को निष्प्रभावी करने के लिए प्रशासक के तर्कहीन आदेशों के विरूद्ध अध्यक्ष महोदय द्वारा दर्शाई गई दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए, यह सदन अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संबंधितों को जारी इन निर्देशों का समर्थन करने का संकल्प करता है कि श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा, विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निवर्हन, अध्यक्ष के निर्देशों के विपरीत किसी भी क्षेत्र से जारी किये गये/होने वाले आदेशों के होते हुए भी करते रहेंगे, यह सदन यह भी संकल्प करता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा कदम जिससे सचिव, विधान सभा के पद तथा सचिवालय की कार्यप्रणाली के संबंध में माननीय अध्यक्ष के निर्देशों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन होता है तो उसे विधान सभा का गंभीर विशेषाधिकार हनन माना जायेगा और ऐसा हनन करने वालों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये, और अध्यक्ष महोदय से संस्था के दीर्घकालीन हित में श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा की सेवाओं के सचिव, विधानसभा के रूप में स्थायी आधार पर समावेशन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता है।" संकल्प ध्वनि मत से स्वीकार हुआ। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उक्त संकल्प को सभी संबंधित विभागों को भेज दिया जाए तथा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा के विधानसभा सचिव के रूप में समावेश को सुगम बनाने हेतु आग्रह किया। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि वे इस मामले को राज्य सभा, लोकसभा तथा अन्य राज्यों की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों के समक्ष रखेंगे।
11.	6.00 बजे	[अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि आधे घंटे तक बढ़ाई] **II. श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय सदस्य** ने नेकनीयत वाले अधिकारियों को आतंकित तथा हतोत्साहित करने के इरादे से मनमाने तबादलों तथा अन्य विभिन्न कदमों से दिल्ली के शासन को पटरी से उतारने के कथित प्रयास के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : 2. श्री सोम दत्त 3. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) 4. श्री जगदीप सिंह, माननीय मुख्य सचेतक 5. श्री विजेन्द्र गर्ग 6. श्री महेन्द्र गोयल 7. सुश्री भावना गौड़

		[6.30 बजे : अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि एक घंटे तक बढ़ाई] 8. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय मंत्री ने इस मामले पर वक्तव्य दिया। **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।
12.	7.30 बजे	[अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि एक घंटे तक बढ़ाई] **III. श्री विजेन्द्र गुप्ता** ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक पूर्व मंत्री से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो लीक होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। *(श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री शरद चौहान के बीच नोक–झोंक होने के पश्चात् श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)* **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री** ने इस मामले पर वक्तव्य दिया। श्री कपिल मिश्रा, माननीय पर्यटन मंत्री ने भी इस मामले पर वक्तव्य दिया।
13.		**IV. श्री अमानातुल्लाह खां, माननीय सदस्य** ने वक्फ बोर्ड कार्यालय पर ए.सी.बी रेड का मामला उठाया। श्री सोमनाथ भारती भी इस विषय पर बोले।
14.		**श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री** ने सूचित किया कि उनके संज्ञान में आया है कि श्री विजेन्द्र गुप्ता ने पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें सदन में धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि यह सूचना सत्य है तो यह एक गंभीर मामला है तथा इस पर सदस्यों के विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना का मामला बनता है क्योंकि श्री विजेन्द्र गुप्ता ने यह मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाने की बजाय पुलिस में शिकायत की है। अध्यक्ष महोदय ने उक्त मामले की जांच विशेषाधिकार समिति द्वारा किये जाने का निर्देश दिया।
15.		अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।
16.	8.35 बजे	**राष्ट्र गान–जन–गण–मन।** **सदन अनिष्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।**

दिल्ली
09 सितम्बर, 2016

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव